

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्षकार भी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित रह रहे हैं जिससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को वाद में रूची नहीं है। अतः वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  30/11/25 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रंका।	